

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

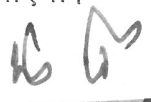
क्रमांक : प.7 (38) परि/नियम/मु./2011/ 13192

जयपुर, दिनांक : 1/7/16

कार्यालय आदेश 27/2016

अधोहस्ताक्षरकर्ता के निरन्तर संज्ञान में लाया जा रहा है कि परिवहन कार्यालयों में पंजीयन व लाइसेंस किराएनामे के आधार पर जारी किए जा रहे हैं, जबकि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में किराएनामे को पंजीयन व लाइसेंस हेतु पते के निवास के प्रमाण के रूप में वैध दस्तावेज नहीं माना गया है।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित दस्तावेजों एवं समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेजों को ही आयु व पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जावे। साथ ही भविष्य में किराएनामे को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जावे। आदेशों की पालना अक्षरशः की जावें अन्यथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांक : प.7 (38) परि/नियम/मु./2011/

जयपुर, दिनांक :

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त).....।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली ।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)